# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-- नि० प्रा०/ नि० 1-01/2014 1322 /पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2014

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) ।
सभी नोडल पदाधिकारी (पैक्स निर्वाचन, 2014) ।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) ।
सभी निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी (स०स०) ।

विषय : **पैक्स निर्वाचन, 2014 के संदर्भ में मार्गदर्शन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पैक्स निर्वाचन, 2014 के सिलसिले में विभिन्न स्त्रोतों से कतिपय पृच्छाएँ की गयी हैं। हालांकि इन बिन्दुओं को प्रशिक्षण के दौरान पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है तथा इस संबंध में पूर्व में कई निदेश भी निर्गत है फिर भी पैक्स निर्वाचन, 2014 के संचालन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, निम्न बिन्दुओं को पुन: स्पष्ट किया जा रहा है :-

1. जिन पैक्स में कोरम पूरा नहीं होने की संभावना हो।

कई जिलों एवं प्रखंडों से यह जिज्ञासा की गई है कि यदि नामांकन अथवा नाम वापसी के पश्चात् यह स्थिति उत्पन्न होती है कि पैक्स के प्रबन्ध समिति का कोरम पूरा नहीं हो सकेगा, उक्त मामलों में कौन सी कार्रवाई की जायेगी।

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यदि नामांकन के पश्चात् अथवा संवीक्षा/नाम वापसी के बाद अलग-अलग कोटि के पदों के विरूद्ध सात (07) से कम अभ्यर्थी रह जाते हैं तो उक्त पैक्स का चुनाव उसी स्थिति पर रोक दिया जायेगा तथा इसकी सूचना प्राधिकार को दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सात (07) से कम संख्या में बचे अभ्यर्थियों को कभी भी निर्विरोध निर्वाचित नहीं किया जायेगा तथा उन्हें कोई प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

2. महिला अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में अंकित करने के संबंध में।

कई जिलों से यह जिज्ञासा की गयी है कि प्राधिकार के निदेशानुसार पैक्स निर्वाचन, 2014 के लिए मतपत्र का प्रकल्प निर्धारित है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके नाम मतपत्र में किस क्रम से रखे जायेंगे।

इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संबंधित कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के ठीक बाद महिला कोटि के अभ्यर्थियों के नाम उसी मतपत्र में अंकित किये जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम से मतपत्र में ऊपर तथा उसके पश्चात् महिला कोटि के अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम से ठीक पुरुष कोटि के अभ्यर्थियों के बाद अंकित किये जायेंगे। क्रम संख्या लगातार दिये जायेंगे। यदि कोई महिला अभ्यर्थी पुरुष कोटि के विरुद्ध नामांकन पत्र दाखिल करती है तो उनका नाम मतदाता सूची में पुरुष कोटि के अभ्यर्थियों में ही वर्णानुक्रम से सम्मिलित किये जायेंगे।

3. निर्वाचन सामग्रियों के क्रय एवं प्रपत्रों का मुद्रण।

पैक्स निर्वाचन, 2014 के लिए निर्वाचन सामग्रियों के क्रय एवं मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन सामग्रियों का क्रय तथा प्रपत्रों/ मतपत्रों का मुद्रण लोकसभा चुनाव, 2014 के लिए क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर किया जा सकता है। जिन सामग्रियों के मूल्य अथवा प्रपत्रों के दर अनुमोदित नहीं है उन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्थानीय स्तर पर क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सामग्री का क्रय अथवा प्रपत्रों/ मतपत्रों का मुद्रण कराया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी